

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./47/2016

दर्ज दिनांक:-24.05.2016

1. जगन्नाथ पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. वंशी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:
अर्जुनसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी प्राथमिक डिक्री निर्णित किया जा चुका है। अतः उभयपक्ष कारान को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। यह आदेश पटवारी। तहसीलदार पर कुरा रिपोर्ट संधारित करते समय प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official

